बिहार सरकार,
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांक – 6/वि02 –120/14 – 2262   पटना,   दिनांक – 18 · 11 · 14

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

विषयः– वर्ष 2014–15 में राज्य के 100 विद्यालयों में रनिंग वॉटर के साथ छात्र–छात्राओं के लिए अलग–अलग शौचालय ब्लॉक के साथ पेयजल सुविधा सहित शौचालय कॉम्पलेक्स का निर्माण बाह्य संपोषित DFID-SWASTH परियोजना के अंतर्गत करने हेतु रू0 484.13 लाख (चार करोड़ चौरासी लाख तेरह हजार रूपये) की राशि पर योजना की स्वीकृति।

आदेश – राज्य के गंगा किनारे अवस्थित 3 जिलों यथा बक्सर, बेगूसराय एवं भागलपुर के 100 विद्यालयों में रनिंग वॉटर के साथ छात्र–छात्राओं के लिए अलग–अलग शौचालय ब्लॉक के साथ पेयजल सुविधा सहित शौचालय कॉम्पलेक्स का निर्माण बाह्य संपोषित DFID-SWASTH परियोजना के अंतर्गत करने हेतु रू0 484.13 लाख (चार करोड़ चौरासी लाख तेरह हजार रूपये) की राशि पर योजना की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इस योजना को 6 माह में पूर्ण करने का लक्ष्य है।

2. इस योजना पर होने वाला व्यय योजना इस राशि हेतु बजट प्रावधान मुख्य शीर्ष– 2215–जल पूर्ति तथा सफाई 01– जल पूर्ति– 102–ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम–0105–क्षेत्र विस्तृत पद्धति द्वारा स्वास्थ्य सुदृढ़ीकरण (बाह्य संपोषित परियोजना) राज्य योजना स्कीम कोड– PUB–5677, विषय शीर्ष– 3105 सहायक अनुदान– परिसम्पत्तियों के निर्माण –विपत्र कोड– P2215011020105 के अंतर्गत भारितव्य होगा।

3. इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, बेगूसराय होंगे, जो राशि की निकासी कर बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन, पटना को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से उपलब्ध करायेंगे। राशि की निकासी कोषागार, बेगूसराय से की जायेगी। बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन, पटना द्वारा योजना के कार्यान्वयन हेतु राशि संबंधित कार्यपालक अभियन्ता को उपलब्ध कराई जाएगी। योजना पर होनेवाला व्यय स्वीकृत राशि तक सीमित रहेगा।

4. इसके नियंत्री पदाधिकारी अभियन्ता प्रमुख –सह– विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग होंगे।

5. योजना एवं गैर योजना मदों में स्कीमों की स्वीकृति हेतु शक्तियों का प्रत्यायोजन से संबंधित वित्त विभाग के संकल्प संख्या – एम4–53/2007 – 96 वि0 (2) दिनांक – 03–01–08 के आलोक में मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार द्वारा इस योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है।

6. 2014–15 की वार्षिक योजना उदव्यय एवं योजना बजट में इसके लिए प्रावधान है।

7. इस पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

(विवेक कुमार सिंह)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक – 6/वि02 –120/14 – 2262 पटना, दिनांक – 18 11.14

प्रतिलिपि –

1. वित्त विभाग (बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/मुंगेर एवं भागलपुर/जिला पदाधिकारी, बक्सर/बेगूसराय एवं भागलपुर/कोषागार पदाधिकारी, बक्सर/बेगूसराय एवं भागलपुर कोषागार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. अभियन्ता प्रमुख सह विशेष सचिव/मुख्य अभियन्ता (नागरिक)/मुख्य अभियन्ता (यॉंत्रिक) –सह– नोडल पदाधिकारी (डी0एफ0आई0डी0)/विशेष पदाधिकारी/कार्यपालक अभियन्ता (मो0)/उप निदेशक, मूल्यांकण/निदेशक (पी0एम0यू0)/कार्यपालक अभियन्ता (मो0–II) –सह– उप नोडल पदाधिकारी, डी0एफ0आई0डी0/सहायक अभियन्ता (मूल्यांकण)/प्रशाखा–4 एवं 6, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पटना प्रक्षेत्र/भागलपुर प्रक्षेत्र/ अधीक्षण अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, आरा/बेगूसराय एवं भागलपुर/ कार्यपालक अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, बक्सर/बेगूसराय एवं भागलपुर, पूर्व/पश्चिम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(विवेक कुमार सिंह)
प्रधान सचिव

आई. टी. मैनेजर